न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 19/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. सत्यनारायण पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति-माहेश्वरी महाजन निवासी-ग्राम केरू तहसील व जिला जोधपुर		1. सरकार जरिये पटवारी केरू तहसील-व जिला जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर जो प्रकरण संख्या 18/2011 में दिनांक 22.06.2011 अनवान सरकार जरिये पटवारी केरू बनाम सत्यनारायण में पारित किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 04.01.2018

अपीलान्ट सत्यनारायण पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति माहेश्वरी महाजन, निवासी ग्राम केरू, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट सरकार जरिये पटवारी केरू तहसील व जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 22.06.2011 को प्रकरण संख्या 18/2011 अनवान सरकार जरिये पटवारी केरू बनाम सत्यनारायण में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी का पुराना कब्जा है किन्तु अभी तक इस भूमि का नियमन अप्रार्थी के हक में नहीं होने से उसे अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने न तो कोई जांच की न ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं प्रक्रिया व नियमों का पालन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह माना कि ग्राम केरू जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के क्षेत्राधिकार में आता है तो ऐसी स्थिति में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही करने का तहसीलदार जोधपुर को अधिकार नहीं है क्योंकि उन परिस्थितियों में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत ही इस संबंध में कोई कार्यवाही करने एवं नियमन संबंधी प्रावधान भी दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह भी लिखा है कि यह भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती है इस कारण अप्रार्थी के हक में नियमन की अनुशंषा किया जाना संभव नहीं है किन्तु जब अधीनस्थ न्यायालय निमयन की अनुशंषा ही नही कर सकती है तो उसे विधि के उन्हीं प्रावधानों के तहत बेदखली या जुर्माने का आदेश दे सकने का भी अधिकार नहीं है। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर ही विधि अनुसार आदेश पारित किया जाता है किन्तु अपीलाधीन आदेश को देखने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि अधीनस्थ न्यायालय ने साईक्लोस्टाईल आदेश बना रखे है जो प्रत्येक मामले में बिना गुणावगुण को देखे पारित किये जा रहे है जो कतई विधि अनुरूप नहीं है। अपीलार्थी पीढियों से इस वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है एवं इस भूमि के बाबत लगान भी अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा अदा किया गया है जिसके चारों और फाचरों की दीवार पुरानी बनी हुई है एवं अपीलार्थी प्रति वर्ष सावणु फसल तैयार करता है तथा संवत 2012 से पूर्व अपीलार्थी एवं उसके पूर्वज इस भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अपीलार्थी कतई अतिक्रमी नहीं है बल्कि साधिकार इस भूमि पर काबिज है। अत: अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2011 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 113 दिनांक 28.01.2016 से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जो दिनांक 02.02.2016 को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का पुराना कब्जा है किन्तु अभी तक इस भूमि का नियमन अपीलान्ट के हक में नहीं होने से उसे अतिक्रमी घोषित किया गया है। ग्राम केरू जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के क्षेत्राधिकार में आता है तो ऐसी स्थिति में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली या जुर्माने का आदेश करने का तहसीलदार जोधपुर को अधिकार नहीं है। अपीलार्थी पीढियों से इस वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है। अपीलार्थी कतई अतिक्रमी नहीं है बल्कि साधिकार इस भूमि पर

काबिज है। अत: अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.06.11 को निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट ने बताया कि उक्त भूमि पर पीढियों से कब्जा चला आ रहा है इससे सिद्ध होता है कि उसने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। कब्जा कितना ही पुराना हो जब तक अप्रार्थी को भूमि नियमन नहीं हो जाती है तब तक अप्रार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण ही माना जायेगा। अपीलान्ट ने ग्राम केरू की उक्त भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। अत: तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.06.2011 को किया गया निर्णय विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट द्वारा ग्राम केरू के खसरा नम्बर 812 में 15.00 बीघा भूमि पर गैर कानूनी रूप से बाड़ा, फाचरे डाल कर कब्जा व अतिक्रमण किया जाना बताया है। अपीलान्ट ने अपील में बताया कि उसका पीढियों से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है इससे सिद्ध होता है कि अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। इसके अलावा अपीलान्ट का कब्जा कितना ही पुराना हो जब तक अपीलान्ट को भूमि नियमन नहीं हो जाती है तब तक उसका उक्त भूमि पर अतिक्रमण ही माना जायेगा। अत: तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.06.2011 को किया गया निर्णय विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर